रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2013/कार्तिक 10, 1935
No. 285] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2013/KARTIKA 10, 1935

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2013

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2013

(2013 का सं. 2)

सं. एल–3(2)/विनि–सा. (संशोधन)/2013/सीसीआई.–भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का सं.12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन, विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम 2009 में,–

(1) विनियम 4 को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"आयोग की शासकीय मुहर एवं प्रतीक (प्रचार वाक्य सहित) इस प्रकार होंगे जैसे कि अनुबंध में रेखाचित्र द्वारा दर्शाए गये हैं।"

स्मिता झिंगरन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187–एम]

टिप्पण : भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4, तारीख 22 मई 2009 में प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात् इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अगस्त, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल–3 (2)/विनि–साधा. (संशो.)/2009–10/सीसीआई–द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल–3(2)/विनि–साधा. (संशो.)/ 2009–10/सीसीआई एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल–3(2)/विनि–साधा. (संशो.)/2009–10/सीसीआई द्वारा एवं एल–3(2)/विनि–साधा. (संशो.)/2011/सीसीआई भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड–4, तारीख 8 नवम्बर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था।

अनुबंध

1. मुहर



2. प्रतीक



Fair Competition
For Greater Good

COMPETITION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th, October, 2013

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2013

(No. 2 of 2013)

No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2013/CCI.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following amendments in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, regulation 4 (Seal & Emblem) shall stand amended as under:-

"The official seal and emblem (with tagline) of the Commission shall be such as indicated by a drawing in Annexure."

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./187-M]

Note :—The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4, dated 22nd May, 2009. Subsequently amended by notification No. L-3(2)/ Regln.-Gen. (Amdt.) 2009-10/CCI published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated August 20, 2009, No. L-3(2) Regln.- Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI, published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated October 20, 2010, No. L-3(2) Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated April 4, 2011 and No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated November 8, 2011.

ANNEXURE

1. Seal



2. Emblem



Fair Competition
For Greater Good

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.